



महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय  
Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya  
(संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997, क्रमांक 3 के अंतर्गत स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय)  
(A Central University established by Parliament by Act No. 3 of 1997)  
नेक द्वारा 'A' ग्रेड प्राप्त Accredited with 'A' Grade by NAAC

डॉ. राजेश्वर सिंह  
सहायक कुलसचिव/कार्यकारी कुलसचिव  
Dr. Rajeshwar Singh  
Assistant Registrar/Acting Registrar

दूरभाष/Phone : +91-7152-23090

फैक्स/Fax: + 91-7152-24760

क्रमांक: 003 / 2003 / का.आ. / 02-127 / 2021

दिनांक : 28.06.2021

### कार्यालयादेश

राज्य में कोरोना की स्थिति को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार द्वारा जारी आदेश संख्या DMU/2020/CR92/Dism-1 दिनांक 25.06.2021 के तारतम्य में जिलाधिकारी, वर्धा द्वारा निर्गत आदेश संख्या क्र.जिआव्यअ/कोरोना/कावि 1480/21, दिनांक 25.06.2021 के आलोक में अगले आदेश तक विश्वविद्यालय के सभी अकादमिक विभाग तथा प्रशासनिक कार्यालय 50% कर्मियों की उपस्थिति के साथ खुले रहेंगे।

उपर्युक्त के अतिरिक्त आवश्यकतानुसार अधिक कर्मियों को अनुभाग प्रमुख अनुमति प्राप्त कर बुला सकेंगे।

ऑनलाइन कक्षाएँ पूर्ववत जारी रहेंगी।

इसे सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

  
28/06/21  
(कार्यकारी कुलसचिव)

प्रति (ई-मेल द्वारा) :

समस्त अधिष्ठाता, विभागाध्यक्ष, केंद्र निदेशक, सभी कार्यालय प्रमुख

प्रतिलिपि (ई-मेल द्वारा) :

1. कुलपति कार्यालय
2. प्रतिकुलपति द्वय कार्यालय
3. विश्वविद्यालय वेबसाइट
4. संबंधित पत्रावली